

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी:-सुनिता यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या:-123/2018 प्रार्थना पत्र

श्रीमति भगवती देवी पत्नि उदयलाल मेघवंशी, उम्र बालिग निवासी शास्त्रीनगर-भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) -----प्रार्थीया

बनाम

- 1-श्री शंकर पिता दुर्गालाल बलाई, उम्र बालिग निवासी माहेश्वरी भवन के सामने वाली गली में शास्त्रीनगर- भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
- 2-श्री बद्रीलाल पिता दुर्गालाल बलाई, उम्र बालिग निवासी माहेश्वरी भवन के सामने वाली गली में शास्त्रीनगर-भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 3-श्री किशन पिता दुर्गालाल बलाई, उम्र बालिग निवासी माहेश्वरी भवन के सामने वाली गली में शास्त्रीनगर-भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 4-श्री महादेव पिता दुर्गालाल बलाई, उम्र बालिग निवासी माहेश्वरी भवन के सामने वाली गली में शास्त्रीनगर भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 5-श्रीमति शकीला बानू पत्नि अब्दुल हकीम मुसलमान, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
- 6-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) -----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-..11.6.2018

अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम दांथल पटवार हल्का दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 1129 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा, 1129/2248 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, 1132/1 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल कित्ता 3 रकबा 6 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चेन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीया अपने ब्राते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15.5.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे तहत की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। विपक्षी संख्या 1 से 4 ने दिनांक 11.6.2018 को उपस्थित होकर पत्थरगढ़ी किये जाने बाबत सहमति प्रदान की। विपक्षी संख्या 5 व 6 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 11.6.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम दांथल पटवार हल्का दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 1129 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा, 1129/2248 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, 1132/1 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल कित्ता 3 रकबा 6 बीघा 03 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक दांथल को 700/-रुपये (अक्षर:- सात सौ रुपये मात्र.) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

य भीलवाड़ा जिला न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:-तहसीलदार, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा